



# कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, जिला-कोरबा(छ0ग0)

दूरध्वन नं. 07730-234500, फैसल नं. 07730-234001, ईमेल-sp-korba.cg@ngov.in

## -: आदेश :-

उपर पुलिस अधीक्षक, कोरबा की ओर से एक कॉन्सिडर कर्वालय को प्रेषित किया गया कि दिनांक 06.11.2024 की संख्या 18-36 वाले कोतवाली घाना पत्रिका में आदेश क्र. 17 निर्दिष्ट निम्न, तैयारी स्थित केन्द्र कोरबा, सड़ानि अस्पताल सिंह टाकुर एवं सड़ानि अस्पताल कर्वा, केम्बली घाना कोतवाली आपस में सड़ रहे थे जिसमें एक-दूसरे को कीट करने में किता अस्पताल कोरबा में सुनिश्चित कराया गया है। घाना कोतवाली में पदम अन्य अधिकारी/कर्मचारीको के द्वारा बीच-बध्द किया गया है। उक्त घटना के संबंध में घाना कोतवाली के टी.मा. क्र. 36/06.11.2024, 38/06.11.2024, 42/06.11.2024 एवं 45/06.11.2024 में दर्ज है। उक्त घटनाक्रम की पंचनामा कर्वाली निरीक्षण प्रेषित हथोना, घाना प्रचारी निर्दिष्ट सड़ान टाकुर के द्वारा दि. 06.11.2024 को राशि निमा अस्पताल परीक्षर, कोरबा में तैयार किया गया है। उक्त कौरी अधिकारीको/कर्मचारीको के उक्त कृत्य से विचार की राशि जायजनों को भूमिल होनी है।

उक्त विचारोंय कीया के निर्णीत एवं पुलिस सेवा अत्याय निम्न को प्रेषित करने आधरण प्रेषित करने के लिये आज दिनांक 07.11.2024 के आदेश से सड़ानि अस्पताल सिंह टाकुर एवं सड़ानि अस्पताल कर्वा, घाना कोतवाली, कोरबा की अल्पनी आदेश घाना स्थित केन्द्र, कोरबा में सम्पन्न किया गया है तथा निर्दिष्ट किया गया है कि अत्याय अल्पनी अस्पताल स्थित केन्द्र, कोरबा में रहे।

सिद्धार्थ सिन्धी(मानुषी)  
पुलिस अधीक्षक  
जिला-कोरबा(छ.ग.)  
दिनांक 07/11/2024

क्र.पुन./कोरबा/स्टेनो-1/पत्र-05/ 310 /2024

प्रतिनिधि:- सूचनाय एवं आधरण कर्वाली हेतु।

01. अधिकृत पुलिस अधीक्षक, कोरबा/काठोरा, कोरबा।
02. स्थित निरीक्षक, कोरबा की ओर सूचनाय। अत्याय के प्रथमिक जांच कर कॉन्सिडर 03 दिनांक के भीतर अनिश्चय रूप से कॉन्सिडर को प्रस्तुत करने हेतु।
03. स्थित निरीक्षक को जी.सी.हेतु।
04. घाना प्रचारी, कोतवाली कोरबा।
05. पुलिस/अध्यायक/अधिकृत केन्द्र, सिन्धी कोरबा।
06. संदर्भितों को घाना प्रचारी कोतवाली, कोरबा के माध्यम से सूचनाय व फलनाय।

पुलिस अधीक्षक  
जिला-कोरबा(छ.ग.)